

## कार्यालय-जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर (म0प्र0)

### ज्ञापन

क्रमांक- /दो-22-5/2007

शाजापुर, दि0- /05/2019

प्रति,

1. विशेष न्यायाधीश, शाजापुर
2. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर/शुजालपुर/आगर/सुसनेर
3. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अति0/व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, शाजापुर/शुजालपुर/आगर/नलखेडा
4. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अति0/व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, शाजापुर/शुजालपुर/आगर/सुसनेर
5. प्रभारी अधिकारी, नजारत अनुभाग, शाजापुर/शुजालपुर/आगर/सुसनेर/नलखेडा
6. प्रस्तुतकार, जिला न्यायाधीश/प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर

विषय:- तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को विशेष अवकाश हेतु आवेदन पत्र प्रेषित करने हेतु सूचित करने के संबंध में ।

---0---

उपर्युक्त विषय में आदेशानुसार लेख है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-20.05.2019 से 14.06.2019 तक की अवधि के लिये अधीनस्थ न्यायालयों के लिए ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया है ।

अतः आपके अधीनस्थ न्यायालय/अनुभाग में पदस्थ समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि दिनांक-20.05.2019 से 14.06.2019 में **एक सप्ताह** के विशेष अवकाश हेतु आवेदन पत्र दिनांक-11/05/2019 तक आवश्यक रूप से कार्यालय में प्रस्तुत करें ।

साथ ही यह भी निर्देशित करने का कष्ट करें कि विशेष अवकाश स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र प्रत्येक न्यायालय एवं अनुभागों में कार्यरत कर्मचारीगण आपसी विचार-विमर्श उपरांत उनके पीठासीन अधिकारी/ प्रभारी अधिकारी की अनुशंसा सहित अग्रेषित कर प्रेषित करेंगे । जिससे की न्यायालय एवं अनुभागों में लंबित कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

इसके अतिरिक्त समस्त तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारीगण को यह भी निर्देशित करने का कष्ट करें कि विशेष अवकाश के साथ पूर्व में अथवा पश्चात् में अर्जित अवकाश सहित अन्य अवकाश स्वीकार नहीं किया जावेगा ।

वास्ते/जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
शाजापुर

पृ0क्रमांक- /दो-22-5/2007

शाजापुर, दि0- /05/2019

**प्रतिलिपि:-**

सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय, शाजापुर की ओर न्यायिक जिला स्थापना पर पदस्थ समस्त न्यायिक अधिकारीगण की ओर ईमेल के माध्यम से प्रेषित करने तथा जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।

2594  
20/05/2019

वास्ते/जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
शाजापुर